एम.एम. कुमार जे. और रितु बाहरी जे. के समक्ष

डॉक्टर सुभाष चंद्र लोहान - याचिकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाताओ

सीडालूपी 2009 का सख्य 10027

23 नवंबर, 2010

भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 14, 16 एवं 226—हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय (सेवा की सुरक्षा) नियम, 2006—नियम 7(1)—महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर नियुक्ति—चयन समिति के सात सदस्य याचिकाकर्ता का चयन करते हुए योग्यता के क्रम में नंबर 1 पर - उच्च शिक्षा आयुक्त के नामित व्यक्ति चयन को मंजूरी नहीं दे रहे हैं - नियम 7 के उप नियम 1 के सीएल (iv) उच्च शिक्षा आयुक्त के नामित व्यक्ति या कुलपति के नामित व्यक्ति को असहमति नोट दर्ज करने का अधिकार देता है - चाहे वह मनमाना हो और अनुच्छेद 14 और 16(1) के अधिकार के बाहर - माना गया, हाँ - क्लॉममिशनर के नामित एकमात्र सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए एक व्यक्तिगत विचार को याचिकाकर्ता के पद पर चयन के पक्ष में अन्य सात सदस्यों के विचारों को ओवरराइड करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। प्राचार्य-याचिका स्वीकार की गई, चयन समिति की कार्यवाही को मंजूरी देने से इनकार करने वाले विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया।

निर्णीत, नियमों के नियम 7 के उपनियम 1 के खंड (iv) की सामग्री मनमानी और बेलगाम शक्ति को उजागर करती है जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन है। चार विशेषज्ञों, कुलपति के नामित व्यक्ति और अन्य प्रतिष्ठित लोगों से बनी चयन समिति के निर्णय को उच्च शिक्षा आयुक्त के गैर-अधिकारी में निहित मनमाने विवेक पर शून्य नहीं किया जा सकता है। हमारा यह भी विचार है कि ऐसी शक्ति कुलपति के नामित व्यक्ति में भी निहित नहीं हो सकती है। यह रिकॉर्ड में आया है कि याचिकाकर्ता न केवल सभी योग्यताएं पूरी करता है, बल्कि वह पीएचडी की डिग्री और 22 साल का अनुभव रखने के साथ सभी मामलों में विधिवत योग्य भी है। इन कार्यवाहियों में उजागर किया गया एकमात्र कारण उच्च शिक्षा आयुक्त के नामित व्यक्ति का असहमति नोट है। उपरोक्त नोट इस राय की अभिव्यक्ति के अलावा किसी अन्य कमी का खुलासा नहीं करता है कि 'कोई भी उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया गया।' पोस्ट को पुनः विज्ञापित किया जाए।”

(पैरा 14)

आगे निर्णीत किया, हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) नियम 2006 के नियम 7 के उप नियम 1 के खंड (iv) को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) के दायरे से बाहर और मनमाना घोषित किया जाता है। परिणामस्वरूप, चयन समिति की कार्यवाही को मंजूरी देने से इनकार

करने वाले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के 15 जनवरी 2008 के संकल्प को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, उच्च शिक्षा आयुक्त के नामित व्यक्ति द्वारा दर्ज किए गए असहमति नोट को नजरअंदाज करके चयन समिति की कार्यवाही को मंजूरी देने के लिए उत्तरदाताओं संख्या 2 और 3 को एक निर्देश जारी किया जाता है क्योंकि याचिकाकर्ता अन्यथा आवश्यक योग्यताएं पूरी करता है।

(पैरा 15)

आर.के. मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता और उनके साथ
विशाल मलिक, अधिवक्ता याचिकर्ता के लिये
श्रीमती ममता सिंहल तलवार, एएजी हरियाणा
आर.एस. राणा अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या 3 के लिए

एम.एम. कुमार जे.

1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर तत्काल याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) नियम 2006 (संक्षिप्तता के लिए 'नियम') के नियम 7 के उप नियम 1 का खंड (iv) अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। और संविधान के 16(1) में यह प्रावधान है कि यह कुलपति के नामित व्यक्ति या उच्च शिक्षा आयुक्त के नामित व्यक्ति में से किसी एक को चयन समिति की कार्यवाही में असहमति नोट दर्ज करने के लिए बाध्य करता है जिसे बाध्यकारी माना जाता है। एक और प्रार्थना की गई है कि कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र (संक्षिप्तता के लिए 'विश्वविद्यालय') द्वारा पारित दिनांक 13 नवंबर, 2001 (पी 3) के प्रस्ताव को भी मनमाना और अधिकार क्षेत्र के बिना रद्द कर दिया जाए; और फिर भी याचिकाकर्ता को सभी परिणामी राहत देने के लिए प्रार्थना की गई है।

2. त्वरित याचिका के निपटारे के लिए आवश्यक मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि छोटू राम की सैन कॉलेज, जी एन डी (संक्षिप्तता के लिए 'कॉलेज') ने 17 जुलाई 2008 (पीएल) को प्रिंसिपल के एक पद का विज्ञापन दिया था। संबद्ध कॉलेजों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें वैधानिक नियमों द्वारा शासित होती हैं जिन्हें हवाना संबद्ध कॉलेज (सेंडी की सुरक्षा) अधिनियम 1979 और उसके तहत बनाए गए नियम कहा जाता है। नियम 7(1) में प्रावधान है कि प्राचार्य पद पर भर्ती आठ सदस्यों वाली चयन समिति द्वारा की जानी है। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि समिति में चार विशेषज्ञ और चार प्रशासनिक सदस्य शामिल हैं। चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद चयन समिति ने याचिकाकर्ता को योग्यता क्रम में क्रम संख्या 1 पर चयनित किया है। हालाँकि, 8वें सदस्य, जो उच्च शिक्षा आयुक्त द्वारा नामित हैं, ने चयन समिति की कार्यवाही में अपने नोट के माध्यम से टिप्पणी की थी कि कोई भी उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया गया और पद को फिर से विज्ञापित किया जाना चाहिए। तदनुसार, नियुक्ति को उच्च शिक्षा आयुक्त (पी5) के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने 2008

का सी डब्लूपी नंबर 17121 दाखिल करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसे 26 सितंबर 2008 को समय से पहले निपटा दिया गया था। उनकी नियुक्ति को अस्वीकार करने वाले सरकार के आदेश को सामने रखकर उन्हें न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट दी गई (पी4)। अंततः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत याचिकाकर्ता 15 जनवरी 2008 (पी 6) के आदेश की एक प्रति सुरक्षित करने में सक्षम हुआ। उपरोक्त पत्र से याचिकाकर्ता को पता चला कि विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता के चयन को मंजूरी नहीं दी है। याचिकाकर्ता ने 27 जनवरी 2009 का पत्र (पी5) भी रिकॉर्ड में रखा है कि आयुक्त ने कार्यवाही को मंजूरी नहीं दी है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि उच्च शिक्षा आयुक्त के नामित व्यक्ति को चयन समिति के विचारों को वीटो करने की शक्ति दी गई है और यह शक्ति अनियंत्रित, बेलगाम और मनमानी है।

3. प्रस्ताव की सूचना के जवाब में, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने अपना लिखित बयान दाखिल किया है और व्यापक तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार किया है। हालाँकि उनका एकमात्र रुख यह है कि नियमों के नियम 7 के उप-नियम 1 के खंड (iv) के अनुसार, उच्च शिक्षा आयुक्त के नामित व्यक्ति या कुलपति के नामित व्यक्ति एक असहमति नोट और कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के हकदार हैं। उसके बाद चयन समिति को विश्वविद्यालय या आयुक्त द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता है और पद को फिर से विज्ञापित करना होगा।

4. तिवादी संख्या 4 द्वारा दायर अपने अलग लिखित बयान में फिर से तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार किया गया है कि आठ सदस्यों में से चार विशेषज्ञ थे और सात सदस्यों ने याचिकाकर्ता को योग्यता के क्रम में नंबर 1 पर रखकर चुना था। यह केवल उच्च शिक्षा आयुक्त के नामित व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई भी उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया गया और पद को फिर से विज्ञापित किया जाएगा। चौथे प्रतिवादी ने बताया कि श्रीमती विमला कैयर चयन समिति के सदस्य के रूप में भाग लेने के लिए भी सक्षम नहीं थीं क्योंकि वह स्वयं व्याख्याता के पद पर थीं और इसलिए व्याख्याता/सहायक निदेशक को जो एक प्रिंसिपल का चयन करना है चयन समिति का सदस्य बनने का कोई अधिकार नहीं है।

5. प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र द्वारा कोई उत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आईएलके मलिक ने जोरदार तर्क दिया कि असहमति नोट दर्ज करने और अन्य सात सदस्यों के विचारों को खारिज करने के लिए उच्च शिक्षा आयुक्त या कुलपति के नामित व्यक्ति को अधिकार देने का कोई औचित्य नहीं है। . श्री मलिक ने हमें नियम का नियम 7 पढ़कर सुनाया है और तर्क दिया है कि पूरी तरह से बेलगाम शक्ति कुलपति के नामित व्यक्ति या उच्च शिक्षा आयुक्त के नामित व्यक्ति के पास निहित

है। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि किसी भी तर्कसंगत और उचित कारण के अभाव में ऐसी शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है जो पूरी तरह से मनमाना है। विद्वान वकील द्वारा उजागर किया गया एक अन्य पहलू यह है कि संस्थान की स्वायत्तता में हस्तक्षेप किया जा सकता है - केवल शिक्षा की उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने या ऊंचा या उच्च मानक लाने के लिए। नामांकित व्यक्ति ने याचिकाकर्ता के प्रदर्शन के संबंध में कुछ भी दर्ज नहीं किया है जो आवश्यक योग्यताओं के साथ-साथ पसंदीदा योग्यताओं को भी पूरा करता है। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने डॉ. सुषमा आर्य बनाम हरियाणा राज्य (1) के मामले में दिए गए इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा जताया है, जहां निदेशक का नामित व्यक्ति है। उच्च शिक्षा ने चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों की अनदेखी करते हुए एक असहमति नोट दर्ज किया था। निर्णय के पैरा 6 में की गई टिप्पणियों पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया गया है कि चयन प्रक्रिया बहुमत की राय को ध्यान में रखकर पूरी की जानी है, न कि किसी व्यक्ति की राय को ध्यान में रखकर। उन्होंने अशोक कुमार बनाम एमडीयू (2) के मामले में दिए गए विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर भी भरोसा किया है, साथ ही ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है। (3), और तर्क दिया कि सहायता प्राप्त संस्थानों का प्रबंधन उन्हें प्रशासित करने का हकदार है जिसमें नेट/यूजीसी योग्यता उत्तीर्ण करने वालों में से अपनी पसंद के शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार शामिल है।

7. राज्य की विद्वान वकील श्रीमती ममता सिंघल तलवार ने तर्क दिया है कि एक बार जब राज्य किसी संस्था को 95% की सीमा तक सहायता दे रहा है तो उसके नामांकित व्यक्ति को बेहतर शक्ति दी जानी चाहिए जो अधिनियम के साथ-साथ नियमों द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। उन्होंने विशेष रूप से अधिनियम और नियमों की धारा 13 से 16 पर भरोसा जताया है।

8. विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि इस न्यायालय के विचार के लिए उठाया गया संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या आयुक्त, उच्च शिक्षा के नामित एकमात्र सदस्य द्वारा व्यक्त किया गया व्यक्तिगत विचार अन्य सात के विचारों को खत्म करने का आधार बन सकता है। सदस्य प्राचार्य पद पर याचिकाकर्ता के चयन के पक्ष में थे। नियमों के नियम 7(1) को पढ़ना उचित होगा, जो इस प्रकार है:-

*"**भर्ती की विधि**: 7(1) सेवा में भर्ती की जाएगी*
(ए) प्रिंसिपल के मामले में, निम्नलिखित वाली चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा: -
(I) अध्यक्ष के रूप में शासी निकाय का अध्यक्ष।
(II) शासी निकाय का एक सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।

(III) कुलपतियों द्वारा नामित दो व्यक्ति जिनमें से एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिए।

(IV) तीन विशेषज्ञ जिनमें एक कॉलेज के प्रिंसिपल, एक प्रोफेसर और एक कुशल शिक्षाविद् शामिल हैं, जो प्रो लेसर (गवर्निंग बॉडी द्वारा नामित) के पद से नीचे नहीं होना चाहिए, हमारे विशेषज्ञों का एक पैनल कुलपति द्वारा अनुमोदित है।

कोरम

(i) कम से कम दो विशेषज्ञों सहित हमारे सदस्यों को कोरम पूरा करना चाहिए। लेकिन कुलपति के नामित व्यक्ति और निदेशक के नामित व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(ए) लीचिंग और अनुसंधान के लिए दृष्टिकोण का आकलन।

(बी) स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता।

(सी) विश्लेषण और चर्चा करने की क्षमता।

(डी) वैकल्पिक: संवाद करने की क्षमता का आकलन उम्मीदवार को समूह चर्चा में भाग लेने या कक्षा की स्थिति/व्याख्याता के संपर्क में आने से किया जा सकता है, जहां भी संभव हो।

(ii) यदि प्रबंध समिति का अध्यक्ष या उसका नामित व्यक्ति उपस्थित होने में असमर्थ है, तो कुलपति का नामित व्यक्ति चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

(iii) चयन समिति की सिफारिशें कुलपति और निदेशक के अनुमोदन के अधीन होंगी।

(iv) व्याख्याताओं, पुस्तकालयाध्यक्षों और प्राचार्यों के चयन के लिए चयन समिति की बैठक में और यदि कुलपति या निदेशक के नामित व्यक्तियों में से कोई भी असहमति नोट देता है, तो चयन समिति की कार्यवाही को मंज़ूरी नहीं दी जाएगी। विश्वविद्यालय/डायरेक्टर और पद को फिर से विज्ञापित किया जाएगा।"

9. उपरोक्त नियम के अवलोकन से पता चलता है कि सीधी भर्ती द्वारा प्रधानाचार्य का चयन चयन समिति द्वारा किया जाता है। चयन समिति का अध्यक्ष शासी निकाय का अध्यक्ष/अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं (i) अध्यक्ष द्वारा नामित शासी निकाय का एक सदस्य, कुलपति के दो नामांकित व्यक्ति और उनमें से एक होना चाहिए विषय विशेषज्ञ. निदेशक का नामित व्यक्ति, तीन विशेषज्ञ जिसमें कॉलेज के प्राचार्य, एक प्रोफेसर और कुलपति द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों के पैनल में से प्रोफेसर के पद से नीचे का नहीं एक कुशल शिक्षाविद् शामिल होंगे। नियम में यह भी कहा गया है कि कोरम पूरा करने के लिए कम से कम दो

विशेषज्ञों सहित कम से कम चार सदस्य होने चाहिए और कुलपति और निदेशक द्वारा एक नामित व्यक्ति को आवश्यक बनाया गया है। खंड (ए), (बी), (सी) और (डी) में कई लक्षण और पैरामीटर दिए गए हैं जो एक उम्मीदवार के विभिन्न गुणों के मूल्यांकन का आधार बनते हैं। चयन समिति की सिफारिशें कुलपति एवं निदेशक के अनुमोदन के अधीन की गई हैं। हालाँकि, खंड (iv) यह निर्धारित करता है कि व्याख्याताओं के चयन के लिए चयन समिति की बैठक में। लाइब्रेरियन और प्रिंसिपल यदि निदेशक उच्च शिक्षा या कुलपति के नामांकित व्यक्तियों में से कोई एक असहमति नोट दर्ज करता है तो चयन समिति की कार्यवाही को विश्वविद्यालय/निदेशक द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाएगा और पद को फिर से विज्ञापित करना होगा। यह नियम 7 के उप नियम 1 के खंड (iv) के अनुसरण में है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के चयन को मंजूरी नहीं दी गई है क्योंकि निदेशक के नामित व्यक्ति ने एक असहमति नोट दर्ज किया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त नहीं पाया गया है। अन्य सात सदस्यों ने सर्वसम्मति से याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश की।

10. बिहार लोक सेवा आयोग बनाम डॉ. शिव जतन ठाकुर (4) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि एक एकल सदस्य को एक निकाय के रूप में लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

> *"लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को एक निकाय के रूप में लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्यों या कर्तव्यों की वैधता या शुद्धता पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जबकि वह इसका सदस्य था। अब तक इसका सीधा सा कारण यह होना चाहिए कि ऐसे सदस्य को एक निकाय या संस्था के रूप में लोक सेवा आयोग द्वारा किए जाने वाले आवश्यक कार्यों या निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्य में एक पक्ष माना जाना चाहिए, भले ही वह ऐसा रहा हो। एक असहमत सदस्य या अल्पमत में एक सदस्य या एक सदस्य जो इस तरह के समारोह में भाग लेने या कर्तव्य निर्वहन से दूर रहा था।"* (महत्व जोड़ें)

11. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामूहिक निर्णय एक बहुसदस्यीय आयोग और निकाय के कामकाज की नींव है। इसलिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण को बहुमत के निर्णय का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने अशोक कुमार (सुप्रा) और सुश्री सुनीता अग्रवाल बनाम हरियाणा राज्य (1997 का सीडब्ल्यूपी संख्या 448, 31 मार्च 1997 को निर्णय लिया गया) के मामले में लिया था। पूरे विवाद की जांच के बाद डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"*पक्षों के वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता सुनीता अग्रवाल के चयन को मंजूरी न देना कोई वैध कारण नहीं था। केवल इसलिए कि कुलपति के नामांकित व्यक्ति और निदेशक, उच्च शिक्षा के नामित व्यक्ति ने याचिकाकर्ता सुनीता अग्रवाल को मेरिट सूची में नंबर 2 पर और एक अन्य उम्मीदवार को क्रम संख्या 1 पर रखा था, अनुमोदन को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं था। उपरोक्त निर्णय में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए, हम सुझाव दे सकते हैं कि यदि चयन समिति का प्रत्येक सदस्य साक्षात्कार में कुछ अंक देता है और शैक्षणिक योग्यता के लिए कुछ अंक रीसेट कर दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि अधिकतम औसत अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सीरियल में रखा जाएगा। नंबर 1।*" (जोर दिया गया)

12. डॉ. सुषमा आर्य (सुप्रा) के मामले में यह प्रश्न इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए आया कि क्या ऐसा पाठ्यक्रम कानून में स्वीकार्य है। उस सहजता में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया गया और फिर पैरा 6 और 7 में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा गया:

"*अधिसूचना/निर्देशों के पूर्वोक्त उद्धरण से, यह स्पष्ट है कि चयन समिति में उच्च शिक्षित और विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं जिनके निर्णय में आम तौर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, विशेष रूप से दुर्भावनापूर्ण या पूर्वाग्रह के किसी विशिष्ट आरोप के अभाव में। हालांकि प्रतिवादियों की ओर से दाखिल जवाब में भी निदेशक के नामित व्यक्ति पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है. हायर एजुकेशन हरियाणा ने केवल बेहतर शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अन्य उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर चयन पर सवाल उठाया है। यह अपने आप में चयन को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। चयन समिति द्वारा किसी उम्मीदवार का चयन चयन समिति के सामूहिक ज्ञान पर आधारित होता है। ऐसी चयन समिति के कामकाज के नियमों के अनुसार, चयन बहुमत की राय से होना चाहिए। कुलपति के नामितों सहित चयन समिति के सात सदस्य, विशेषज्ञ सभी याचिकाकर्ता के चयन के पक्ष में थे, इस प्रकार सामूहिक विवेक से उम्मीदवार का चयन निदेशक के नामित व्यक्ति द्वारा दर्ज असहमति नोट से निराश नहीं किया जा सकता। असहमति प्रशंसनीय दृष्टिकोण है, लेकिन विचार-विमर्श के बाद बहुमत द्वारा चयन समिति की सर्वसम्मति को ऐसे असहमति नोट पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जब तक कि रिकॉर्ड से टाले गए या स्पष्ट तथ्य इतने चौंकाने वाले*

न हों और प्रकृति के पूर्वाग्रह या दुर्भावना पर आधारित हों, जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायालय के प्रति सचेत रहते हुए बहुमत का दृष्टिकोण प्रबल होना चाहिए। (महत्व जोड़ें)

7. ऊपर बताए गए तथ्य जिन पर विचार किया जाना चाहिए चयन समिति द्वारा चयन समिति को केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन करने की अनुमति न दें। इसमें शिक्षण क्षमता, संचार क्षमता, विश्लेषण और चर्चा और अन्य तथ्यों की योग्यता को ध्यान में रखना होगा। दूसरे शब्दों में, चयन समिति के समक्ष उम्मीदवारों का शैक्षणिक रिकॉर्ड, सेवा प्रोफ़ाइल और प्रदर्शन सामूहिक रूप से अंतिम चयन में परिणत होने वाली चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।"

13. उस मामले में चयन समिति ने 7:1 के बहुमत से डॉ. सुषमा आर्य का चयन किया था। हालाँकि निदेशक उच्च शिक्षा के नामित व्यक्ति द्वारा एक असहमति नोट दर्ज किया गया था, जो नियमों के अनुसार गठित चयन समिति के सदस्यों में से एक था। चयन समिति द्वारा जिन गाइड-लाइनों का पालन किया जाना था और निर्णय में वर्णित किया गया है, वे उन गाइड-लाइनों के समान हैं जिनका संदर्भ वर्तमान मामले के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में किया गया है।

14. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नियमों के नियम 7 के उपनियम 1 के खंड (iv) की सामग्री मनमानी और बेलगाम शक्ति को उजागर करती है जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन है। चार विशेषज्ञों, कुलपति के नामित व्यक्ति और अन्य प्रतिष्ठित लोगों से बनी चयन समिति के निर्णय को उच्च शिक्षा आयुक्त के नामित व्यक्ति में निहित मनमाने विवेक पर शून्य नहीं किया जा सकता है। हमारा यह भी विचार है कि ऐसी शक्ति कुलपति के नामित व्यक्ति में भी निहित नहीं हो सकती है। यह रिकॉर्ड में आया है कि याचिकाकर्ता न केवल सभी योग्यताएं पूरी करता है, बल्कि वह पीएचडी की डिग्री और 22 साल के अनुभव के साथ सभी मामलों में विधिवत योग्य भी है। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 तथा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर लिखित बयान में याचिकाकर्ता की आवश्यक योग्यता या अधिमान्य योग्यता में किसी भी कमी का कोई उल्लेख नहीं है और उनके द्वारा रखा गया एकमात्र मामला यह है कि एक बार उच्च आयुक्त के नामित शिक्षा ने एक असहमति नोट दर्ज किया है कि विश्वविद्यालय के लिए सिफारिशों को मंजूरी देना स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, इन कार्यवाहियों में प्रकट किया गया एकमात्र कारण उच्च शिक्षा आयुक्त के नामित व्यक्ति का असहमति नोट है। उपर्युक्त नोट इस राय की अभिव्यक्ति के अलावा किसी अन्य कमी का खुलासा नहीं करता है कि 'कोई भी उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया गया।' पोस्ट को दोबारा विज्ञापित किया जाए'।

15. उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) नियम 2006 के नियम 7 के उप नियम 1 के खंड (iv) को मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 और

16 (1) के दायरे से बाहर घोषित किया जाता है। परिणामस्वरूप, 15 जनवरी का संकल्प। 2008 (पी-6) कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय का। कुरुक्षेत्र द्वारा चयन समिति की कार्यवाही को मंजूरी देने से इंकार करने को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है। तदनुसार, उच्च शिक्षा आयुक्त के नामांकित व्यक्ति द्वारा दर्ज असहमति नोट को नजरअंदाज करके चयन समिति की कार्यवाही को मंजूरी देने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 और 3 को एक निर्देश जारी किया जाता है क्योंकि याचिकाकर्ता अन्यथा आवश्यक योग्यता पूरी करता है। यह आवश्यक कार्य इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा, जिसे सामान्य शुल्क के भुगतान पर दिया जाएगा।

आर.एन.आर.

<u>अस्वीकरण:</u>

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा